



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 जून, 2022
ज्येष्ठ 13, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 299/79-वि-1-2022-1-क-5-2022
लखनऊ, 3 जून, 2022

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2022 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2022 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 12
सन् 2019 की
अनुसूची 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 29 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 29 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
30	आई०आई०एल०एम० विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	राम कृष्ण एण्ड संस चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली

कठिनाइयां दूर करने
की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, आई० आई० एल० एम० विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने का उपबन्ध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

ग्रेटर नोएडा में एक नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् आई० आई० एल० एम० विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 299 (2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-5-2022

Dated Lucknow, June 3, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 3, 2022. The Ucha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

ACT, 2022

(U.P. Act no. 3 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2022. Short title

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no. 29, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 29 for the newly established University the following serial numbers shall be *inserted*, namely :- Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
30.	IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh	Ram Krishan and Sons Charitable Trust, New Delhi

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient :

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U. P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private university at Greater Noida, namely IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 87 राजपत्र-2022-(220)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 30 सा० विधायी-2022-(221)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।